भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1193
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मोन्था चक्रवात

1193. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मोन्था चक्रवात से जिला-वार कितनी क्षति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि केंद्रीय दल ने नवम्बर, 2025 के तीसरे सप्ताह में चक्रवात मोन्था से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा किया था;

(ग) केन्द्रीय दल भेजने में विलंब के क्या कारण थे;

(घ) क्या दल द्वारा चक्रवात से हुई क्षति का आकलन किया गया था और किसानों को सहायता प्रदान करने, सड़कों का निर्माण करने तथा अवसंरचना की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना संबंधी सिफारिशें की थीं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा केंद्रीय दल द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): प्रभावित राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापन/ स्थिति रिपोर्टों के अनुसार, रिपोर्ट की गई क्षति/ नुकसान का विवरण निम्नानुसार है:-

(अनंतिम)

राज्य	मानव जीवन की हानि	मकान/ झोपड़ियाँ क्षतिग्रस्त	पशुधन की हानि	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	03	4566	610	1.67
ओडिशा	--	919	26	0.10

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1193, दिनांक 10/12/2025

देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति केअनुसार, चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें, भारत सरकार (जीओआई) कीअनुमोदित मदों और मानदंडों केअनुसार, पहले से ही अपने निपटान में रखे गए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए।

राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1449.60 करोड़ रुपये की राशि (1088 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश + 361.60 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का आवंटन किया गया है। 544.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश की पहली किस्त दिनांक 27.11.2025 को जारी कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 3159.52 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष होने की सूचना दी है।

इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत ओडिशा राज्य सरकार को 2080.00 करोड़ रुपये (1560.00 करोड़ रुपये केंद्रीय अंश + 520.00 करोड़ राज्य अंश) आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय अंश की 780.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त 23.06.2025 को राज्य सरकार को जारी कर दी गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 की स्थिति के अनुसार अपने एसडीआरएफ खाते में 6,534.87 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेष राशि होने की सूचना दी है।

हाल ही के मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा एक आईएमसीटी गठित कर दी गई थी, जिसने 10 से 11 नवंबर, 2025 तक राज्य के चक्रवात 'मोंथा' से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी से रिपोर्टें प्राप्त होने पर, एनडीआरएफ के अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। ओडिशा राज्य सरकार से नुकसान के आकलन के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

****